

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

संशोधित आदेश

क्रमांक / 538/अति.जि.दण्डा./2020

दुर्ग, दिनांक 30 जुलाई, 2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 535/अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग, दिनांक 28 जुलाई, 2020 के क्रमांक 04 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

4/- फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान को चिल्हर/थोक में विक्रय करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को दिनांक 29 एवं 30 जुलाई, 2020 (02 दिवस) हेतु विक्रय/वितरण /भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियाँ करने की अनुमति प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक दी गयी है । उक्त अनुमति को दिनांक 31 जुलाई, 2020 एवं 01 अगस्त 2020 (02 दिवस) तक बढ़ाई जाती है । उक्त अवधि में ईद एवं राखी त्योहार में उपयोग आने वाले सामग्री का विक्रय किराना दुकानों/स्टाल लगाकर किया जा सकता है । उक्त कार्यालयीन आदेश की शेष कंडिकार्यें यथावत् रहेंगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।



क्रमांक / 538 /अति.जि.दण्डा/2020
प्रतिलिपि:-

(डॉ० सर्वेश्वर भरनद्र भुरे)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 30 जुलाई, 2020

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, भिलाई को सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई चरोदा,
7. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला दुर्ग,
8. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
9. सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग,
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला दुर्ग,
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला दुर्ग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग